न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 136/23 निर्णय दिनांकः– 22-02-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/357)

1. महावीर प्रसाद पुत्र इन्द्रचन्द्र जाति लखोटिया निवासी कुम्भाणाबास गोगामेडी के पास, लुणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–05–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 28–05–1999 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा रकबा बिना सूचना के खारिज कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने बतौर विशेष आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष दिनांक 30–01–1999 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से आवंटन का पात्र धोषित करते हुए चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 235/25 में कुल तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन हेतु चालाना तैयार कर दिया गया। उक्त चालान की प्रति अपीलांट् को जारी नहीं करते हुए कालान्तर में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट् को उक्त चालाना की प्रति कभी भी प्राप्त नहीं हुई है तथा अपीलांट् आज दिनांक को भी राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किया गया आवंटन बिना सूचना के व नोटिस दिये अपीलांट का प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट् की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 22–06–2023 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अब अपीलांट् को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—05—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 22—06—2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 235/25 में कुल तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस/चालान भी जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि: Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुर्क्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जोकि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

7. अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर विशेष आवंटन नियमों के अनुसरण में नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22/2/24 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर